न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा **धारा 6ए** आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 85/2024

(GCMS **2024/120**)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीगंगानगर
बनाम

1. **श्री संदीप कुमार** पुत्र श्री धर्मपाल, जाति जाट, निवासी प्रतापोली जाटान तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर मोबाईल नं. 99287–14050
2. **श्री मोहन सिंह राठौड़,** आयु 50 वर्ष जाति राजपूत, निवासी 100 फुट रोड़, श्रीगंगानगर मोबाईल नं. 9782925028

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>31.07.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, अप्रार्थी संदीप कुमार के अधिवक्ता श्री शुभम पचार एवं अप्रार्थी श्री मोहन सिंह राठौड़ के अधिवक्ता श्री प्रदीप धेरड़ उपस्थिति हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संदीप कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्तुशदा 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मय एलपीजी 86.60 किलोग्राम गैस तथा 6 विद्युत चालित मोटर मय रबड़ पाईप वगै. को जब्त कर राजसात कर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रकरण में गलत रूप से आरोपी संस्थित किया गया है। प्रकरण में की गई समस्त कार्रवावई से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एलपीजी (Regulation of supply and distribution) Order 2000 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त प्रकरण में गलत रूप से फंसाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण में मौका पर जो गैस रीफिलिंग होना व बरामदगी स्थल दिखाया गया है, वहां पर अप्राथी संख्या 1, ना तो मौजूद था व ना ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य किया गया है। गैस रीफिलिंग स्थल/बरामदगी स्थल अप्रार्थी संख्या 1 का नहीं है व ना ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैध गैस रीफिलिंग हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर खरीद किए गए है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में कहीं भी यह अंकित नही है कि अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं बरवक्त घटना मौका पर गैस रीफिल करता हुआ पाया गया था या मौका पर मौजूद मिला हो, जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को झूठे केस में फंसाने के लिए उसकी मौजूदगी घटना स्थल पर बतायी गई है व उसके द्वारा अवैध रीफिलिंग कार्य किया जाना बताया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त स्थल एवं प्रकरण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न होने के कारण उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही ड्रॉप करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी संख्या 02–मोहन सिंह राठौड़ के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा की गई आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए की कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी का वाहन कार आरजे 13 सीबी 8875 को वजह सबूत के आधार पर जब्त किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] को उक्त प्रकरण में गलत रूप से संस्थित किया गया है व गलत रूप से [illegible] वाहन जब्ती की कार्यवाही की गई है, जबकि प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई लेना देना नही हैं, प्रार्थी को उक्त प्रकरण में गलत रूप से फंसाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर जो गैस रिफिलिंग होना व बरामदगी स्थल दिखाया गया है वहां पर प्रार्थी मौके पर मौजूद ही नहीं था ना ही प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई लेना देना है, प्रार्थी तो निजी कार्य से तथाकथित घटना स्थल से दूर 5 ई छोटी, शराब की दुकान पर गली में अपना वाहन खड़ा कर गया था, जब प्रार्थी वापिस लौटा तो पुलिस द्वारा उक्त वाहन को जबरदस्ती दबाव बनाकर गाड़ी को दूसरे स्थान पर ले जाकर झूठा फसाया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त के सम्बन्ध में सीसीटीवी फुटेज व फोटो भी प्रार्थी के पास मौजूद है, जो संलग्न जवाब है, जिसमे प्रार्थी का वाहन उक्त तथाकथित बरामदगी स्थल से काफी दूर सडक पर खड़ा दिखाई दे रहा है जो कि उक्त दर्शाये घटना स्थल नोहरे में भी नहीं दिखायी दे रही है जिसमें भी उक्त परिवाद प्रार्थी के विरूद्ध मिथ्या होना प्रमाणित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के द्वारा अपनी कार में किसी प्रकार से कोई गैस रिफलिंग नहीं करवायी जा रही था, प्रार्थी के वाहन में अपरूवड गैस किट लगी हुई है जो किसी प्रकार से अनाधिकृत नहीं है। प्रार्थी द्वारा हनुमानगढ़ एलपीजी पम्प से गैस भरवाई जाती है।

उनका आगे यह कथन है कि प्रार्थी की गाड़ी में उस रोज न तो गैस भरवाई गई ना ही मौका पर मौजूद थी और ना ही प्रार्थी अवैध गैस का उपयोग करता है, प्रार्थी का उक्त प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया हैं प्रार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। रसद विभाग द्वारा पेश किये गये परिवाद में कही भी अंकित नहीं है कि प्रार्थी की गाड़ी [illegible] ब[illegible]क्त घटना गैस रिफिलिंग हो रही थी। प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई सरोकार नहीं होने के कारण, प्रार्थी के विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमायी [illegible]ने व जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि दिनांक 05.06.2024 को सीओ (सिटी), पुलिस कार्यालय, श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचना अनुसार अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर पर वीडी मोटर्स के पास वाली गली में स्थित एक नोहरे में पहुंचे तो वहा श्री सुनिल कुमार, एसआई, पुलिस थाना, सदर, श्रीगंगानगर मय पुलिस जाब्ता उपस्थिति मिले। श्री सुनील कुमार ने बताया कि **एक व्यक्ति द्वारा सफेद रंग की ऑल्टो कार वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी।** पुलिस के पहुंचने पर रिफिलिंग करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना नाम श्री मोहन सिंह राठौड़, आयु 50 वर्ष जाति राजपूत, निवासी 100 फुट रोड, श्रीगंगानगर तथा स्वयं को वाहन मालिक होना बताया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर श्री सुनील कुमार, एसआई, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर ने अहाते के मालिक के बारे में बताया कि श्री संदीप कुमार सिहाग पुत्र धर्मपाल, जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर उक्त अहाते का मालिक है, जो कि मौके पर उपस्थित नहीं मिला।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष अहाते की जांच करने पर बरामदें में 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस रिफिलिंग में प्रयोग होने वाली छः विद्युत चलित मोटर मय रबड़ पाईप, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा जिस [illegible] 9829615860 लिखा पाया गया, एक छोटा कार्टून के [illegible] हुए बहुत सारे ढक्कन पाये गये। मौके पर गैस रिफिलिंग में प्रयोग होने वाली एक लोहे की बांसुरी तथा हिसाब की एक डायरी जिस पर सोनालिका एक्सपोर्ट में नम्बर एक प्राईड ऑफ इंडिया छपा हुआ था, पाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर पाये गये 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से एक सिलेण्डर जरिये पाईप नीले रंग की विद्युत चालित स्पीड न्यू मोटर (कम्पनी मुस्कान एन्टरप्राईजेज) से जुड़ा पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर पाये गये 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 6 सिलेण्डर सील बंद पूरे भरे पाये गये। सभी गैस सिलेण्डर भारत गैस सिलेण्डर के पाये गये। मौके पर भी सिलेण्डरों की फर्द तलपट्टी अलग से तैयार की गई। मौके पर अहाते की जांच करने पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण तथा प्रयोग हेतु कोई भी अनुज्ञा पत्र/वैध दस्तावेज नहीं मिला।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर अवैध गैस रिफिलिंग में प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 86.80 किलोग्राम गैस तथा 6 विद्युत चालित मोटर मय रबड़ पाईप, एक लोहे की बांसुरी, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा, एक डायरी, सिलेण्डरों के खाली ढक्कनों से भरा एक डब्बा जब्त कर सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। इसलिए प्रकार वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 का जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया तथा वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 को श्री सुनील कुमार, एसआई, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि संदीप कुमार के अहाते में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों द्वारा वाहनों में गैस रिफिलिंग होना पाया गया। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत उक्त जब्तशुदा सामग्री 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 86.80 किलोग्राम गैस तथा 6 विद्युत चालित मोटर मय रबड़ पाईप, एक लोहे की बांसुरी, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा, एक डायरी, सिलेण्डरों के खाली ढक्कनों से भरा एक डब्बा एवं वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 को LPG

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(क) एवं 7(1) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण राजसात करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 10.06.2024 को उक्त स्थान पर सिलेण्डर विस्फोट से आगजनी की घटना भी हुई है, जिसमें भी पुलिस ने अप्रार्थी संदीप सिहाग पुत्र धर्मपाल निवासी पन्नीवाली जाटान, सादुलशहर, श्रीगंगानगर के विरूद्ध एफआईआर संख्या 0333/2024 दर्ज करवाई है, जिसकी प्रति भी विभागीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनाक 05.06.2024 को सीओ (सिटी), पुलिस कार्यालय, श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचना अनुसार अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीगंगानगर, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर पर वीडी मोटर्स के पास वाली गली में स्थित एक नोहरे/आहते में पहुंचे। मौके पर सुनील कुमार एसआई, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर मय पुलिस जाब्ता उपस्थित मिले। श्री सुनील कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति एक सफेद रंग की ऑल्टो कार वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। पुलिस के पहुंचने पर रिफिलिंग करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहन सिंह राठौड, आयु 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी 100 फुट रोड, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 97829–25028 तथा स्वयं को वाहन आरजे 13 सीबी 8875 का मालिक होना बताया। मौके पर सुनील कुमार एसआई, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर ने अहाते के मालिक के बारे में बताया कि श्री संदीप कुमार सिहाग पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर मोबाईल नम्बर 99284–07150 उक्त अहाते का मालिक है जो कि मौके पर उपस्थित नहीं मिला। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष अहाते की जांच करने पर आमदे में 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस रिफिलिंग में प्रयोग होने वाली छः विद्युत चलित मोटर मय रबड़ पाईप, एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रोनिक कांटा जिस पर सुखदेव सोनी (राजू) 982961586 लिखा पाया गया, एक छोटा कार्टून के डब्बे में सिलेण्डरों से हटाये हुए बहुत सारे ढक्कन भरे पाये गये। मौके पर गैस रिफिलिंग में प्रयोग होने वाली एक लोहे की बांसुरी तथा हिसाब की एक डायरी जिस पर सौनालिका एक्सपोर्ट में नम्बर एक प्राईड ऑफ इंडिया छपा हुआ था, पाई गई। मौके पर पाये गये 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से एक सिलेण्डर जरिये पाईप नीले रंग की विद्युत चलित स्पीड न्यू मोटर (कम्पनी मुस्कान एन्टरप्राईजेज) से जुड़ा पाया गय। मौके पर पाये गये 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 6 सिलेण्डर सील बंद पूरे भरे पाये गये। सभी गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। मौके पर सभी सिलेण्डरों की फर्द तलपट्टी अलग से तैयार की गई मौके पर अहाते की जांच करने पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण तथा प्रयोग हेतु कोई भी अनुज्ञा पत्र/वैध दस्तावेज नहीं मिला। मौके पर अवैध गैस रिफिलिंग में प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एजपीजी 86.80 किलोग्राम गैस तथा 6 विद्युत चलित मोटर मय रबड़ पाईप, एक लोहे की बांसुरी, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रोनिक कांटा, एक डायरी, सिलेण्डरों के खाली ढक्कनों से भरा एक डब्बा, वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर जब्त किये गये वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 को सुनील कुमार एएसआई, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। मौके पर 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 86.80 किलोग्राम गैस तथा 6 विद्युत चालित मोटर मय रबड़ पाईप, एक लोहे की बांसुरी, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रोनिक कांटा, सिलेण्डरों के खाली ढक्कनों से भरा एक डब्बा को नवपाल इण्डेन गैस एजेंन्सी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि लक्की मिढ्ढा पुत्र श्री भीम सेन मिढ्ढा जाति अरोड़ा निवासी 57 दावड़ा कॉलोनी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर के अहाते में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों द्वारा वाहनों से गैस रिफिलिंग होना पाया गया। श्री संदीप कुमार पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर को उक्त कृत्य LPG (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग) 4(1)(क) एवं 7(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौके से जब्तशुदा 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 86.80 किलोग्राम गैस तथा 6 विद्युत चालित मोटर मय रबड़ पाईप, एक लोहे की बांसुरी, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रोनिक कांटा, एक डायरी, सिलेण्डरों के खाली ढक्कनों से भरा एक डब्बा, वाहन आजे 13 सीबी 8875 को राजसात करने की प्रार्थना की है। अपनी बहस के समर्थन में विभागीय प्रतिनिधि फोटो की प्रति प्रस्तुत की है, जो शामिल पत्रावली है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार वैद्य अनुज्ञापत्र/दस्तावेज होने का भार अप्रार्थीगण पर है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 निम्न प्रकार से है :**

धारा 14 : कतिपय मामलों में सबूत का भार :

जहां कोई व्यक्ति धारा 2 के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिबद्ध करता है वहाँ यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है, उसी का होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संदीप कुमार के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अवैध रिफलिंग किये जाने वाले अहाते/नोहरे से अप्रार्थी संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही जब्ती के समय अप्रार्थी संदीप कुमार उक्त अहाते/नोहरे में उपस्थित मिला। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल को जानबूझकर फसाया जा रहा है। इस पर अप्रार्थी के उक्त स्थल की जांच करवाई गई तो पाया कि **अवैध रिफलिंग के अहाते/नोहरे का मालिक मुकेश कुमार वधवा पुत्र श्री रामचन्द निवासी 1—सी— नन्द विहार, श्रीगंगानगर (राजस्थान) का है जिसने दिनांक 14.03.2024 को अप्रार्थी संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल को दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 30.01.2024 तक यानि ग्यारह माह लिए शर्तों के आधार पर किराये पर दिया गया था जबकि अप्रार्थी संदीप कुमार के अधिवक्ता ने उक्त अहाते से किसी प्रकार का सम्बन्ध होने से इंकार किया था।** इसके अतिरिक्त उक्त स्थान पर दिनांक 10.06.2024 को गैस विस्फोट होने के कारण आगजनी की घटना की एफआईआर संख्या 0333 दिनांक 10.06.2024 दर्ज हुई है, जो यह साबित करता है कि वीडी मोटर्स के पास वाली गली में स्थित उक्त नोहरे/अहाते में श्री संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर (UID 3483 5282 6194) द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी **संदीप कुमार द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग, भण्डारण तथा बेचान करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई वैद्य अनुमति पत्र/अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 86.80 किलोग्राम गैस तथा 6 विद्युत चलित मोटर मय रबड़ पाईप, एक लोहे की बांसुरी, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा, सिलेण्डरों खाली ढक्कनों से भरा एक ड़ब्बा को **Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and distribution) Order 2000 की धारा 3(1)(ग) 4 (1)(क) एवं 7 (1) की अवहेलना करने के कारण राजसात करने योग्य है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी मोहन सिंह राठौड के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी के वाहन कार आरजे 13 सीबी 8875 को इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नही है उसे झूठा फसाया गया है जबकि प्रस्तुत इस्तगासा में उक्त वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 में रिफलिंग करते हुए पकड़ा जाना अंकित किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ कार की फोटो पेश की है, जिसमें यह पता नहीं चलता है कि वे दिनांक व समय की है इसीप्रकार उनके प्रस्तुत पैन ड्राईव में भी Created/Modified दिनांक 28.06.2024 की अंकित है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि जिससे वे यह साबित करते कि उनके द्वारा उक्त स्थल से अपने वाहन कार संख्या आरजे 13 सीबी 8875 में गैस रिफिल नहीं करवाई गई है इसके अतिरिक्त मौके पर प्रार्थी श्री सुनिल कुमार, एसआई, पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर ने उक्त वाहन कार संख्या आरजे 13 सीबी 8875 को रिफलिंग करते हुए पकड़ा गया है, जो यह साबित करता है कि उक्त कार में संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल के नोहरे/आहते में अप्रार्थी मोहन सिंह राठोड की कार संख्या आरजे 13 सीबी 8875 में अवैध रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए का परन्तुक निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> परन्तु यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाडी, यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु, गाड़ी या यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसके बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय (Pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी मोहन सिंह राठौड का वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 को उक्त अप्रार्थी संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल के अहाते/नोहरे से अवैध रिफलिंग करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए उक्त वाहन संख्या आरजे 13 सीबी 8875 को राजसात करने के आदेश दिये गये है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के **अनुसार जब्त वाहन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-13-CB-8875 का बाजार मूल्य 1.80/– लाख रूपये है। इसलिए उक्त वाहन संख्या RJ-13-CB-8875 पर 1.50/– लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है** और जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी से **जब्तशुदा** घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर में 86.80 किलोग्राम एलपीजी गैस तथा 6 विद्युत चलित मोटर मय रबड़ पाईप, एक लोहे की बांसुरी, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा, सिलेण्डरों खाली ढक्कनों से भरा एक ड़ब्बा **को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात** किये जाते है। **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री से प्राप्त राशि को स्थाई रूप राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवायें। उक्त जब्तशुदा 13 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर को अति. आयुक्त खाद्य के आदेश क्रमांक एफ86(8)खा.ले./नीति/6ए/2000 जयपुर, 19 अगस्त 2000 के अनुसरण में निस्तारण किया जाये।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर